

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक-एस0टी0/एन0ओ0सी0/

/2015-2016

दिनांक 16.03.16

विषय- सुदिती ग्लोबल एकेडमी, गद्दी जाफर, बाघई, टूण्डला, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2762/15-13-91-4(46)/91 दिनांक 30 नवम्बर 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1916/(1)/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 सपठित शिक्षा निदेशक(मा0) के पत्रांक-सा0(1)/शिविर/एन0ओ0सी0/7153/2009-2010 दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के आलोक में सुदिती ग्लोबल एकेडमी, गद्दी जाफर, बाघई, टूण्डला, फिरोजाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार का निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- 10- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

कुशुभ पाठक


सचिव शिक्षा विकास ट्रस्ट
149 विद्यालय नई दिल्ली कल्पना नगर
2015-2016

(पी0टी0ओ0-2)
PRINCIPAL
SUDITI GLOBAL ACADEMY
Jafar Garhi, Firozabad

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस ले लिया जायेगा।



संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा।


भवदीय


(प्रदीप भटनागर)
मण्डलायुक्त/अध्यक्ष,
आगरा मण्डल, आगरा।

पृ०सं०-एस०टी०/एन०ओ०सी०/14343-50 /2015-2016 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मण्डलायुक्त महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
- 3-शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, फिरोजाबाद।
- 6-निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, सुदिती ग्लोबल एकेडमी, गढ़ी जाफर, बाघई, टूण्डला, फिरोजाबाद।
- 8- गार्ड फाइल।


(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सचिव/सदस्य एवं
मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आगरा



प्रबन्ध प्र्यासी
साई शिक्षा विकास ट्रस्ट
140 गिनिज चार्जिन कल्पना नगर
ए.पी. 30801


PRINCIPAL
SUDPTI GLOBAL ACADEMY
Infor Garhi, Firozabad